जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 202 वीं बैठक दिनांक 04.09.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे लिये गये निर्णयो का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री दीपक नंदी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (बीपी) जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (एमपी) व बीपीसी(एलपी) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री रामरतन शर्मा, उपायुक्त, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरिन्द्र सिंह, उपायुक्त, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हरि सिंह मीणा, उपायुक्त, जोन-15, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
10. श्री सोहन, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री बी.एम. माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक मास्टर प्लान प्रकोष्ठ/बीपीसी (एलपी)
13. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा

202 / 04.09.2013

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 201 वीं बैठक दिनांक 30.08.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 201 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन थे जो कि क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी–196 दिनांक 05.09.2013 को जारी किये जा चुके हैं।

एजेण्डा

202 / 04.09.2013

विषय :– सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के सम्बन्ध में विगत सप्ताह में की गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या–1

202 / 04.09.2013 (जोन–4)

विषय :– मैसर्स डी.के.जी. टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री विजय खेमका एवं मैसर्स श्री सी प्रा. लि. जरिये निदेशक विजय खेमका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के तहत जिनी खातेदारी ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर के तर्वमान खसरा नं. 120 व 127 एवं ग्राम झालाना चौड के खसरा नम्बर 166 / 402 व 7 कुल क्षेत्रफल 19582 वर्ग मीटर के पुनर्गठन।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि खसरा नम्बर 120 व 127 का क्षेत्रफल 13796 वर्ग मीटर वाले भूखण्ड पर पूर्व में 18 मीटर सड़क को मुख्य सड़क मानते हुए भूखण्ड फ्रन्ट सेटबेक 15 मीटर के स्थान पर साईड सेटबेक मानते हुए 9 मीटर किये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान के आदेश कमांक प.10(7)नविवि / 3 / 2009 पार्ट–।। दिनांक 02.08.2013 के कम में राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

पुनर्गठित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–2

202 / 04.09.2013 (जोन–6)

विषय :– दी अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना प्रवासी नगर के भूखण्ड संख्या 70 के नियमन के संबंध में।

दी अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना प्रवासी नगर में, मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 70 के सामने 200 फीट के स्थान पर 130 फीट रोड उपलब्ध है एवं प्रश्नगत योजना में भूखण्ड संख्या 32 के सामने वर्तमान में मौके पर 200 फीट सडक उपलब्ध है किन्तु सडक के मध्य बिन्दु से सडक के एक तरफ (दक्षिण में) 70 फीट एवं दूसरी तरफ (उत्तर में) 130 फीट सडक उपलब्ध है। प्रार्थी के भूखण्ड के सामने कम चौडाई उपलब्ध है, अतः निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 70 जिस सड़क पर स्थित है, उस सडक का एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का टी. एस. सर्वे करवाया जाकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण जिसमें भवन रेखा/मीडियन/सर्विस रोड इत्यादि स्पष्ट कराया जाकर पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावे।

एजेण्डा संख्या–3

202/04.09.2013 (जोन–6)

विषय :– श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना प्रताप नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 597–बी से 597–एन के नियमन बाबत।

समिति द्वारा प्रकरण की प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें उपायुक्त द्वारा योजना की मूल पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। अतः एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा भूखण्ड संख्या 597–बी से 597–एन कुल 13 गैर अनुमोदित/आरक्षित प्रत्येक भूखण्डों के संबंध में निर्माण की स्थिति, बिजली–पानी के कनेक्शन वर्ष 1999 से पूर्व के है, की सम्पूर्ण जांच मय योजना के मूल दस्तावेज व पत्रावली सहित प्रकरण को पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–4

202/04.09.2013 (जोन–12)

विषय :– श्री कृष्ण कृपा हाउसिंग प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम निमेडा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 241/3 शा. नं. 242/3, 408/3, 409/3, 241/4 शा. नं. 242/4, 408/4, 401/4 कुल किता 8 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में योजना अनुमोदन एवं सेक्टर रोड़ की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कृष्ण कृपा हाउसिंग प्रा. लि. द्वारा ग्राम निमेडा तहसील जयपुर में आवासीय येाजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी थी, योजना आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 04.04.2013 को स्वीकृति की गयी थी।

योजना मानचित्र में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन सड़क व सेक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की स्थिति में अन्तर होने के कारण योजना मानचित्र जारी नहीं किए गये थे। गैस पाइप लाइन के साथ प्रस्तावित 9 मीटर सड़क और सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क में परिवर्तन के संबंध में प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 17.05.13 में विचारार्थ रखा गया था। बैठक में आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया था निर्णयानुसार आपत्ति/सुझाव दिनांक 28.05.13 को मांगे गये थे निर्धारित सात दिवस की अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव नहीं आने पर प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 04.09.2013 में प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय

लिया कि गैस पाइप लाइन के एक ओर 18 मीटर तथा दूसरी ओर 9 मीटर चौड़ी सड़क रखते हुए दोनों सड़कों के मध्य में 18 मीटर चौड़ी नॉन कन्ट्रक्शन क्षेत्र प्रार्थी की योजना दिनांक 04.04.2013 को अनुमोदित को यथावत रखते हुये योजना मानचित्र जारी किया जावें एवं इस योजना के उपरान्त 60' चौडी सेक्टर रोड का मिलान पूर्व में अनुमोदित सेक्टर रोड के अनुसार ही किया जावें।

प्रश्नगत योजना के आगे की भूमि पर यदि कोई योजना अनुमोदन हेतु जविप्रा में आती है तो जोन उपायुक्त गैस पाइप लाइन के सहारे 60 फीट सेक्टर रोड के संबंध में सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण को बीपीसी (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–5

202 / 04.09.2013 (जोन–14)

विषय :– पूर्व अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये अनुमोदित भूखण्डों को योजना के समीप लगती हुई अन्य योजनाओं के भूखण्डों को मिलाते हुए वर्गाकार किये जाने बाबत नीति निर्धारण।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व अनुमोदित योजना व नवसृजित योजना के भूखण्डों को मिलाकर एक किया जाता है तो इसे दोनों योजनाओं के सम्मिलन (Merger) का प्रकरण टाउनशिप पॉलिसी–2010 के बिन्दु संख्या 3.7 के अनुसार माना जावें एवं दोनों योजनाओं के क्षेत्रफल को एकजाई मानते हुए, बढ़े हुये क्षेत्रफल पर आनुपातिक रूप से टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान लागू किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–6

202 / 04.09.2013 (जोन–15)

विषय :– आवेदक टॉपिक बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री रविन्द्र सिंह जैन द्वारा ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टे के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :–

1. आवेदित भूमि को एप्रोच रोड़ हेतु आवेदक की अवाप्त की गई भूमि के एवज में आवंटित किये गये भूखण्ड संख्या 14 से 18 (कुल 5 आवासीय भूखण्ड जिनकी कुल चौड़ाई 45 मीटर है) एप्रोच रोड़ के लिए निःशुल्क समर्पण हेतु आवेदक द्वारा समिति के समक्ष सहमति प्रदान की गई। अतः उक्त अनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड निःशुल्क एप्रोच रोड़ हेतु जविप्रा को समर्पित करने के पश्चात ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का नियमन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्तावित एप्रोच रोड को प्रार्थी की साथ लगती हुई भूमि (आवेदित भूमि की दक्षिण दिशा में) की एप्रोच रोड हेतु भी काम में लिया जा सकेगा।

2. प्रस्तावित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल की 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु जविप्रा को निशुल्क समर्पित करवाया जावे।
3. प्रस्तावित भूखण्ड के पास की पीछे स्थित खसरों को राजस्व रास्ते से वर्तमान में एप्रोच उपलब्ध होने के कारण एवं भूखण्ड का आकार Zig-Zag होने के कारण साईड में 9 मीटर रोड प्रस्तावित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. प्रकरण 10,000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

13.9.13

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी–201
दिनांकः 13/9/2013

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

13.9.13

अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।